Case No.- 138/2023

**Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]**

FORM OF ORDER SHEET

**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA**

L.D. Case No.- 138/2023

**Rama Sahni & Ors. .......................................................Petitioner.**

**Versus**

**Upendra Choudhary…………..........................Opposite Parties.**

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

**23.8.2025**

**आदेश**

यह अपील वाद भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा B.L.D.R. Case No.–25/2023-24 में दिनांक-30.5.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

वाद पत्र के अनुसार प्रश्नगत जमीन की विवरणी निम्नानुसार है :-

| अंचल | मौजा/ थाना नं0 | पुराना खाता/ पुराना खेसरा | M.S. खाता/ M.S. खेसरा | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| किशनगंज | खगड़ा/57(144) | 341/1722 | 71/740 | 2डी. 600वर्ग कड़ी |

दिनांक-12.8.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। विपक्षी के द्वारा Written Note of Argument दाखिल है। अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन उनके द्वारा वर्ष 2002 में निबंधित केवाला के माध्यम से क्रय किया गया है। जबकि विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन वर्ष 2021 में निबंधित केवाला के माध्यम से उनके द्वारा क्रय किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों - वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि उभय पक्ष द्वारा प्रश्नगत जमीन निबंधित केवाला से क्रय करने एवं दखल कब्जा में रहने का दावा किया जा रहा है। वस्तुतः उभय पक्ष के बीच प्रश्नगत जमीन के नापी/सीमांकन का विवाद है। तथा यह कि उक्त विवाद के समाधान हेतु प्रश्नगत जमीन का नापी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी की ओर से यह बिन्दु भी उठाया गया है कि उनके पक्ष को सुने बिना ही निम्न न्यायालय के स्तर से आदेश पारित किया गया है। किन्तु निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी पक्ष का प्रश्नगत जमीन पर Right निर्धारित नहीं किया गया है अपितु अंचल अधिकारी, किशनगंज को प्रश्नगत भूमि विवाद के निष्पादन हेतु दण्डाधिकारी नियुक्त करते हुए सरकारी अंचल अमीन से जमीन का सीमांकन कराते हुए प्रश्नगत भूमि विवाद के निपटारा करने का निदेश दिया गया है। निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

[signature] 23/8/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

लेखापित एवं शुद्धित।

[signature] 23/8/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया